

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा), मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: apccfproduction@gmail.com

क्रमांक/निर्वर्तन/4644

भोपाल, दिनांक: 28/09/2012

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश ।

विषय:- व्यापारी विनिर्माता या उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज काष्ठ के पुर्नविक्रय पर हस्तांतरण (प्रतिफल) शुल्क में संशोधन के संबंध में ।

---0---

म0प्र0 शासन वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक/समिति/399/112 दिनांक 24.09.2012 से पूर्व में स्वीकृत हस्तान्तरण शुल्क (प्रतिफल) की राशि वसूली संबंधी आदेश को अधिक्रमित कर, अब सम्पूर्ण विनिर्दिष्ट प्रजातियों की काष्ठ व उससे निर्मित जलाऊ पर हस्तांतरण शुल्क, विक्रय मूल्य का 3 प्रतिशत लिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है । उक्त आदेश की छायाप्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

कृपया शासन निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्य प्रदेश भोपाल

पृ0क्रं0/बांस निर्वर्तन/4645

भोपाल, दिनांक 28/09/2012

प्रतिलिपि:-पदेन सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग म0प्र0 भोपाल की शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/समिति/399/112 दिनांक 24.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्य प्रदेश भोपाल